हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

कार्यसूची

अष्टम् सत्र

बुधवार, 8 अप्रैल, 2015/18 चैत्र, 1937(शक्)

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

1. **प्रश्नोत्तर:**

(1) **तारांकित :**

दिन के लिए } पृथक सूची में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।

(2) **अतारांकित :**

दिन के लिए } पृथक सूची में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

2. **सदन की समिति के प्रतिवेदन :**

श्री खूब राम, सभापति, कल्याण समिति, (वर्ष 2014-15), समिति के **द्वितीय मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2012-13) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर अष्ट्म कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2013-14) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे ।

3. **नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव:**

श्री बिक्रम सिंह, चिन्तपुरनी बाज़ार में स्थित होटल, सराय, आवास व अन्य व्यवसायिक संस्थानों में सीवरेज की उचित व्यवस्था न होने के कारण पेयजल स्त्रोतों के दूषित होने से उत्पन्न गम्भीर स्थिति की ओर **सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मन्त्री** का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

4. विधायी कार्य :

सरकारी विधेयकों पर विचार-विमर्श एवं पारण

(i) **श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1968 (1969 का अधिनियम संख्यांक 3) का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए ।

हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक,2015
(2015 का विधेयक संख्यांक 7)

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए ।

(ii) **श्री वीरभद्र सिंह,मुख्य मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश राज्य में खेल संगमों के रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन का उपबन्ध करने और खेल संगमों के क्रियाकलापों और कार्यकलापों को सुकर बनाने और विनियमित करने तथा हिमाचल प्रदेश राज्य का और राज्य के विभिन्न राजस्व जिलों का प्रतिनिधित्व करने के अधिकार को भी मान्यता प्रदान करने और नियमितिकरण करने तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए ।

हिमाचल प्रदेश खेल (संगमों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) विधेयक, 2015
(2015 का विधेयक संख्यांक 10)

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए ।

(iii) **श्री सुधीर शर्मा, शहरी विकास मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए ।

हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना(संशोधन) विधेयक, 2015
(2015 का विधेयक संख्यांक 8)

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए ।

(iv) **श्री अनिल कुमार, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 4) का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए ।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज(संशोधन) विधेयक, 2015
(2015 का विधेयक संख्यांक 9)

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए ।

5. नियम-324 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख :

(1) **श्री रणधीर शर्मा (49-श्री नैना देवीजी),** बिलासपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत नालसू नाला से खारसी चौक तक सम्पर्क मार्ग की जनहित में शीघ्रातिशीघ्र मरम्मत करवाने बारे विशेष उल्लेख करेंगे।

(2) **श्री सुरेश कुमार (55-पच्छाद),** पच्छाद विधान सभा चुनाव क्षेत्र के अन्तर्गत सरांहा में जनहित में शीघ्रातिशीघ्र उप-मण्डलाधिकारी कार्यालय स्थापित करने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

(3) **श्री बलदेव सिंह तोमर (59-शिलाई),** शिलाई विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत कुछेक नामत: उठाऊ पेयजल/सिंचाई योजनाओं को जनहित में शीघ्रातिशीघ्र शुरू करवाने बारे विशेष उल्लेख करेंगे।

(4) **श्री महेश्वर सिंह (23-कुल्लू),** कुल्लू विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत लग घाटी में सूमा नामक स्थान पर सब्जी मण्डी के निर्माण हेतु भूमि का शीघ्रातिशीघ्र हस्तान्तरण करवाने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

(5) **श्री कुलदीप कुमार (41-चिन्तपुरनी),** जिला ऊना के चिन्तपुरनी बाज़ार में आग से हुए नुकसान की भरपाई हेतु प्रभावितों को शीघ्रातिशीघ्र फौरी-राहत प्रदान करने बारे विशेष उल्लेख करेंगे।

(6) **श्री कृष्ण लाल ठाकुर (51-नालागढ़),** प्रदेश की प्रत्येक पंचायत में गौ-शाला हेतु बिज़ली के कनैक्शन को जनहित में वाणिज्यिक के स्थान पर घरेलू कनैक्शन उपलब्ध करवाने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

(7) **श्री सुरेश भारद्वाज (63-शिमला),** नगर निगम शिमला के लोअर खलीणी वार्ड में सीवरेज़ लाईन की जनहित में उपयुक्त व्यवस्था करवाने बारे विशेष उल्लेख करेंगे।

(8) **श्री रविन्द्र सिंह (10-देहरा),** प्रदेश के विभिन्न विकास खण्डों में मुख्य सेविकाओं के रिक्त पदों को महिला ग्राम विकास संयोजिकाओं से पदोन्नति द्वारा जनहित में शीघ्रातिशीघ्र भरने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

शिमला-171 004 सुन्दर सिंह वर्मा,
दिनांक: 07 अप्रैल, 2015 सचिव ।

****

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)
(विधेयकों पर स्वीकृत संशोधन यदि कोई हो, तो वह भी प्रस्तुत किए जायेंगे)